तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/अपील/एलआर/401/2004** **रामसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख

एकल पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अभिभाषक प्रार्थी
श्री शोकिंद लाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक 01.02.2024

यह नजरसानी अपील मण्डल की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 09–12–2003 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 86 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

नजरसानी प्रार्थनापत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

नजरसानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व सरकार एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 17–09–1999 द्वारा प्रार्थी का दावा अप्रार्थी के विरूद्ध डिक्री करते हुए प्रार्थी को साबिक आराजी खसरा नं0 2465 हाल खसरा नं0 2780 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया। उक्त निर्णय की पालना में प्रश्नगत नामांतरण तहसीलदार, नसीराबाद के समक्ष पेश हुआ जिसे तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 7–02–2001 द्वारा प्रार्थी के हक में भरा गया नामांतकरण 367 अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को विद्वान संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 16–05–2001 द्वारा अस्वीकार कर दी जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो आदेश अंतर्गत नजरसानी द्वारा दिनांक 09–12–2023 को अस्वीकार कर दी गई। अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क यह रहा है कि अपील में लिप्त बिंदुओं को निर्णित नहीं कर केवल नामांतकरण तस्दीक नहीं किए जाने का जो आदेश तहसीलदार ने बताया है उसको रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल भाग–2 के प्रावधानों के अंतर्गत नियम 55 के अनुसार तहसीलदार द्वारा जांच किया जाना मानते हुए अपील को एडमिशन स्तर पर ही अस्वीकार कर दी गई। उनका तर्क है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने नियम लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 121 की पालना उन नामांतकरणों को स्वीकृत किए जाने के लिए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/अपील/एलआर/401/2004** **रामसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख
	लागू नहीं होते हैं जो डिक्री के आधार पर तस्दीक किए जाते हैं। उनका तर्क है कि डिक्री की पालना अधीनस्थ अधिकारी को रोकने या उसकी पालना नहीं किए जाने का अधिकार नहीं है। डिक्री का सम्मान करना अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है। उनका तर्क है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, अजमेर द्वारा निर्णय/डिक्री दिनांक 17.09.1999 को अप्रार्थी की ओर से कोई भी चुनौती नहीं दी गई है एवं एक्जूकिटिंग कोर्ट को उस डिक्री को देखने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय में यह तर्क पेश किया गया था कि वह माननीय न्यायालय द्वारा वरवक्त लिखाते निर्णय उक्त बिंदु ओझल हो गया है जो माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रथमद्ष्ट्या त्रुटि है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी स्वीकार की जाकर मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2003 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत उप राजकीय अभिभाषक ने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि नजरसानी का क्षेत्र बहुत सीमित होता है जिसमें अभिलेख पर प्रथमदृष्ट्या परिलक्षित होने वाली त्रुटि को देखा जाता है। अभिभाषक प्रार्थी आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि बताने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नजरसानी सारहीन होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया। नजरसानी प्रार्थनापत्र पर विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। नजरसानीधीन निर्णय दिनांक 09.12.2003 का अवलोकन किया गया। राजस्व मण्डल की एकल पीठ के समक्ष अपील एलआर सहायक कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 17-09-1999 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी जिसे विद्वान एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनाक 09.12. 2003 द्वारा खारिज करते हुए तहसीलदार, नसीराबाद का निर्णय दिनांक 07.02.2001 को यथावत रखा गया। नजरसानीधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकलपीठ ने जो आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि अथवा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलौच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही नजरसानी का आधार हो सकती है अन्यथा नहीं और ऐसा निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2003	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/अपील/एलआर/401/2004** **रामसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख
	गलत (erroneous) है तो गलत निर्णय को भी नजरसानी का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करना चाहिये। नजरसानी एक ओर अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती। उपरोक्त आलोक में आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल–पीठ द्वारा विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही नजरसानीधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है। अतः यह नजरसानी प्रार्थनापत्र को उपरोक्तानुसार सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	